

बीमार एवं बंद उद्योगों के लिये नविश प्रोत्साहन नीति एवं औद्योगिक व वाणज्यिक विकास के लिये राज्य लॉजिस्टिक्स नीति लागू

चर्चा में क्यों?

10 अप्रैल, 2023 को छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राज्य सरकार द्वारा बीमार एवं बंद उद्योगों के लिये नविश प्रोत्साहन नीति एवं औद्योगिक व वाणज्यिक विकास के लिये राज्य लॉजिस्टिक्स नीति लागू की गई है।

प्रमुख बंदि

- राज्य सरकार ने उद्योगों के विकास के लिये महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए छत्तीसगढ़ में बंद एवं बीमार उद्योग के लिये नई नीति लागू की है। इससे बंद एवं बीमार उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा और वे बेहतर तरीके से संचालित हो पाएंगे।
- इसके साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लागू लॉजिस्टिक्स नीति की मदद से नरियात में बढ़ोतरी के साथ ही कृषि सहित अन्य उत्पादों के प्रसंस्करण व भंडारण को प्रोत्साहन मिलेगा।
- छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक्स नीति-2022**
- राज्य में औद्योगिक विकास के साथ-साथ वाणज्यिक विकास को बढ़ावा देने, देश के कुल नरियात में राज्य का योगदान बढ़ाने, राज्य में उपलब्ध खनजि संपदा का समुचित दोहन, सुदूर अंचलों में कृषि को प्रोत्साहित करने एवं अनाज तथा अन्य उत्पादों के प्रसंस्करण व भंडारण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक्स नीति-2022 (01 नवंबर 2019 से 31 अक्टूबर 2024) लागू की गई है।
- इस नीति के तहत लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज की स्थापना, एकल स्वामित्व, साझेदारी, कंपनी, सीमित दायित्व साझेदारी, सहकारी समिति, हनिदू अवभाजित परिवार, स्वयं सहायता समूह तथा कृषक उत्पादक संगठन द्वारा किये जाने पर औद्योगिक नविश प्रोत्साहन की पात्रता है।
- इस नीति के अंतर्गत उद्यमों में किये गये स्थायी पूंजी नविश का 35-55 प्रतिशत तक अधिकतम राशि रुपए 35-350 लाख तक स्थायी पूंजी नविश अनुदान, 50-60 प्रतिशत अधिकतम राशि रुपए 10-55 लाख तक ब्याज अनुदान, वाणज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 5-8 वर्ष तक वदियुत शुल्क से पूर्ण छूट, स्टॉम्प शुल्क से छूट तथा परिवहन वाहन अनुदान दिये जाने का प्रावधान है।
- छत्तीसगढ़ बंद एवं बीमार उद्योगों हेतु विशेष नविश प्रोत्साहन नीति**
- वर्तमान में राज्य में औद्योगिक कर्षेत्रों एवं औद्योगिक कर्षेत्रों के बाहर भी उद्योग स्थापति हुए हैं। प्रदेश में जतिनी तीव्र गति से उद्योगों की स्थापना हो रही है उनसे जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की समस्याओं के कारण इन स्थापति उद्योगों में से कुछ उद्योग बीमार एवं बंद भी हुए हैं।
- इन बीमार व बंद उद्योगों को पुनः संचालित किये जाने, पुनः रोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ बंद एवं बीमार उद्योगों हेतु विशेष नविश प्रोत्साहन नीति 2019 लागू की गई है।
- इसके तहत बीमार एवं बंद उद्योगों के पुनर्वास और पुनर्संचालन पैकेज अंतर्गत स्टॉप शुल्क से छूट, पंजीयन शुल्क से पूर्ण छूट, ब्याज अनुदान, स्थायी पूंजी नविश अनुदान, परियोजना परतविदन अनुदान, गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान, तकनीकी पेटेंट अनुदान, प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान, नःशिक्त अनुदान, वदियुत शुल्क से छूट, प्रवेश कर भुगतान से छूट एवं मंडी शुल्क छूट प्रदान करने का प्रावधान है।